

[Shri K. C. Pant]

him the privilege of spreading sensationalism.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why did he not file a return? What action was taken against him for that? He could have filed a nil return.

SHRI K. C. PANT : I am not yielding. I am very sorry that a member of Shri Gupta's....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Stature.

AN HON MEMBER : Not stature; standing.

SHRI K. C. PANT : The very fact that I have to grope for words shows that I am rather worked up now. He made certain statements which are absolutely false.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Let us have an inquiry then.

SHRI K. C. PANT : An inquiry about what? An inquiry why he made baseless statements?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Appoint somebody to find out whether the All India Congress Committee has income which is taxable, Shri Kamaraj has income which is taxable. I challenge you.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अब यह बहस बहुत दूर तक चली जा रही है। इसीलिये मैंने सुझाव दिया था कि गुप्ता जी के प्रश्नों का जवाब कल दिया जाय मेरा यह प्रस्ताव लिया जाय जिसकी चर्चा पिछले दो दिनों से चल रही है।

SHRI K. C. PANT : He talked of the valuation of Anand Bhavan in Allahabad. He gave the figure of Rs. 55,000 which is not correct. But it is a fact that it was valued in the normal manner at Rs. 36,000 by the Income-tax Department.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am prepared to get it for Rs. 36,000.

SHRI S. M. BANERJEE : Shri Kamaraj should be *kamarajed*.

SHRI K. C. PANT : When this fact came to the knowledge of Pandit Nehru he sent for the papers. He said, "This is absurd; this is worth more" and he raised it to Rs. 1,75,000 with his own pen.

I hope that in future my hon. friend will be far more responsible and will go into the facts before he makes charges on the floor of this House. That is all that I have to say in this regard.

Sir, I have done. I hope, I have dealt with all the points that have been raised I commend this Bill to the House.

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill further to amend the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958 and the Income-tax Act, 1961 and to amend the Finance (No. 2) Act, 1967, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : We will take up the clause-by-clause consideration tomorrow.

17.06 Hrs.

MOTIONS RE. REPORTS OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :—

- (1) "कि मैसर्स अमीं चन्द प्यारे लाल से अधिभार वसूल न किये जाने से सम्बन्धित चूकों के विषय में लोक लेखा समिति के 54वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) में की गई विफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति के पांचवें प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रकाश में लाये गये लोक लेखा समिति तथा सरकार के बीच मतभेदों के बारे में विचार किया जाये।"

(2) "कि स्थल सेना द्वारा खराब टायरों की खरीद के विषय में लोक लेखा समिति के 64वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति के चौथे प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रकाश में लाये गये लोक लेखा समिति तथा सरकार के बीच मतभेदों के बारे में विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय, इस बहस का उद्देश्य नीकरशाही का लोभ, मंत्रिमंडल का भ्रष्टाचार तथा कुछ पूंजीपतियों की ओर व्यापारियों की बेईमानी इनके अपवित्र गठबंधन का है। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक एकाउंट्स कमेटी इस सदन की चौकीदार है और मुझे दुख है कि इस कमेटी की सिफारिशों पर जो कि समूचे सदन की सिफारिशें हैं, किसी एक दल की नहीं हैं, जिस आदर से सरकार को विचार करना चाहिये सरकार विचार नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष से जब हम लोगों ने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से सवाल पूछना शुरू किया और इसके बारे में अपना विरोध प्रकट किया कि सरकार के द्वारा पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की सिफारिशों पर जल्दी प्रतिक्रिया नहीं आती है, सरकार जल्दी नहीं बताती है कि क्या कार्यवाहियाँ की गई हैं, उसके बाद से कुछ रपट हमारे सामने आई हैं। आज जो प्रस्ताव में सदन के सामने रख रहा हूँ—उनमें अमीचन्द प्यारेलाल कम्पनी और उनकी जो सहयोगी कम्पनियाँ हैं उनके मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय, 15 साल पहले इनका नाम भी किसी को मालूम नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे केन्द्रीय सरकार के बड़े मंत्रियों

के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ इन्होंने अपने नाते-रिश्ते कायम किये और कई मंत्री बदले, अधिकारी बदले, लेकिन यह कम्पनी निरन्तर आगे बढ़ती गई। जब सरदार स्वर्ण सिंह साहब इस्पात मंत्री थे, उस वक्त भी इनकी तरक्की हुई, जब फाटिल साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या खाद्य मंत्री रहे, उस वक्त भी इनकी तरक्की हुई, और जब जगजीवन राम जी रेल मिनिस्टर रहे, उनके जमाने में भी इनकी तरक्की हुई।

अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये का आमदनी टैक्स इन लोगों ने सरकार को नहीं दिया। जब इनके बारे में सवाल पूछा गया, तो सरकार ने कहा कि हम ने नये सिरे से इस मामले को खोला है—एक करोड़ रुपये की इनकी आमदनी है और 75 लाख रुपया इनको टैक्स में देना पड़ेगा। हम लोगों ने पूछा कि टैक्स की चोरी को लेकर इन पर कोई जुर्माना आदि किया है? हम को जवाब मिला कि टैक्स की चोरी को लेकर कोई जुर्माना नहीं हुआ। 1963 में, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उस समय के इस्पात मंत्री—सुब्रह्मण्यम् साहब को आश्वासन दिया था कि हम उद्योगीकरण के काम में सहयोग करेंगे और व्यापार के झंझट में नहीं फँसेंगे। काश्मीर सिरेमिक्स उद्योग के सम्बन्ध में इन्होंने 1963 में कहा था कि हम बहुत जल्द पैदावार शुरू करेंगे इसमें, लेकिन आज तक इस में कोई पैदावार नहीं हुई। इनको जो परमिट दिये गये, जो कोटा दिया गया, उसको इन्होंने कालेबाजार में बेच कर मुनाफा कमाया। माल को खाने के लिये इन लोगों को जो कौंस-वार्डर सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, वह बनावटों सर्टिफिकेट बना कर

MR. SPEAKER: We should confine ourselves to the subject of the discussion.

श्री मधु लिमये: यह उसी से सम्बन्धित है। आप पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट देखिये—यह पूरी अमी चन्द प्यारेलाल

[श्री मधु लिमये

के बारे में है। इसलिये उससे सम्बन्धित जितने मामले हैं और जो बात पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में आई है.....

MR. SPEAKER : What I am saying is that Aminchand Pyarelal question has been coming up very often in various connections.

श्री मधु लिमये : आज जो हमारे सामने 4-5 रपट हैं उन पर ही मैं बोल रहा हूँ। मैंने सब रपट पढ़ी हैं इसलिये मैं इस सारे मामले को जानता हूँ।

इसी तरीके से इन्होंने जब कभी इस्पात के सामान का आयात किया तो जिस गुणवत्ता का माल मंगवाना चाहिए था उसके बजाय दूसरा मंगवाया, सरकार पर दबाव डाल कर रिजैक्ट करवाया और वह कालेब्राज़र में चला गया। उन्होंने पोर्ट कमिश्नर को इसी तरीके से घोखा दिया है और उनसे अपना पैसा वापिस लेने की भी कोशिश की है।

जहां तक स्टेट ट्रेनिंग कारपोरेशन का सवाल है उससे संबन्धित यह खराब टायरों का मामला एक अर्सो से में उठा रहा हूँ। इसके बारे में विल्कुल साफ बात है कि इन्होंने व्यापार मंत्रालय सुरक्षा मंत्रालय और सप्लाइ मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालयों के अधिकारियों और मंत्रियों को अपने साथ कर लिया और उन के जरिए ऐसे-ऐसे गंदे काम किये हैं जिससे न केवल इस देश का वित्तीय नुकसान हुआ है बल्कि हमारी जो सेना है उसमें भी भ्रष्ट आचार फैलाने का इन लोगों ने प्रयास किया है। अव्यय महोदय, क्या बजह है कि 15 साल पहले जिस कम्पनी का नाम तक किसी को मालूम नहीं था आज यह कम्पनी इतनी ताकतवर हो गई है कि पार्लियामेंट में उनका भंडाफोड़ करो, उनके ऊपर आलोचना करो, नुक्ताचीनी करो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इनकी बातों को

खोलो। लेकिन इस कम्पनी पर कोई असर नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष यहां पर मामला उठाया गया एपीजे शिपिंग कम्पनी का। उस वक्त पाटिल साहब मंत्री थे और टामस साहब भी मंत्री थे और उस वक्त कहा गया कि एपीजे कम्पनी ने जो बर्मा से चावल लिया उसका वजन जब उतारा जाता था माल कम भरता था और इसलिये सरकार को और जनता को घोखा देने के लिए इन्होंने अपने जहाज में झूठा मार्का लगा कर जो खाली गनी बैग्स होते हैं वह अपने साथ ले आये। इनके मामले के बारे में पहले ही कार्यवाही होनी चाहिए थी लेकिन मैं ने अभी अभी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर से सवाल किया कि क्या इस कम्पनी को शिपिंग डेवलपमेंट फंड के जब आपने पैसा दिया तो इस कम्पनी की पृष्ठभूमि आदि के बारे में भी आपने जानकारी हासिल की? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर का कुछ ही दिनों के पहले नुज़ को जवाब आया है कि और उसमें मंत्री साहब कहते हैं।

"The reports and recommendations made by the Directorate General of Shipping and the Government Director did not raise any doubt or suspicion regarding the credentials and reputation of the Company."

इसका साफ मतलब है कि उन लोगों के यह मंत्री तथा अधिकारी इतने अधीन हो गये हैं कि सारी दुनिया में इस कम्पनी के कारनामों की चर्चा हो रही है और फिर भी शिपिंग डेवलपमेंट के जो अधिकारी हैं, डाइरेक्टोरेट जनरल हैं या सरकारी डाइरेक्टर हैं वह इस कम्पनी के बारे में सही जानकारी सरकार को देने के लिये तैयार नहीं हैं।

अव्यय महोदय, कुछ दिन पहले अदालत के सामने पाटिल साहब ने यवाही दी तो उनको बूछा गया कि अभीचन्द प्यारेलाल की फर्मों के बारे में आप ने कभी सोचा है कि इस तरीके की बातें कैसे

होती है तो पाटिल साहब ने जवाब दिया :

"as an important leader of the Congress Party, the reputation of the Congress Party is a matter of concern to me. . . . I asked myself the question how such a scandalous thing about Aminchand Pyarelal could occur while the Congress Party was in power. I could not get a satisfactory answer within myself to that question."

अध्यक्ष महोदय, कितने निष्पाप हमारे पाटिल साहब हैं उन्होंने अपने मन से सवाल किया। उन्होंने मन को टटोला कोई जवाब नहीं मिला लेकिन आगे चल कर उसी अदालत में उन्होंने इसके बारे में सफाई दी। उन्होंने अदालत को कहा :

"My son, Vishwanath Patil, is the Circulation Manager in the *Times of India*,"—

—a concern owned by the notorious Sahu Jain Group.

आगे कहा :

"My son-in-law, Patkar, works in one of the Birla's Pharmaceuticals concern."

मैं सभी मंत्रियों के रिश्तेदारों की यहां पर फेहरिस्त नहीं देना चाहता

MR. SPEAKER : It will take some hours for you to finish, at this rate.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : The list is ready, Sir.

श्री मधु लिमये : मैं केवल उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ जैसे मेरे पास लिस्ट है लेकिन मैं पूरी नहीं पढ़ने वाला हूँ

MR. SPEAKER : He may have got some list, but he cannot take some hours.

श्री मधु लिमये : वह तो ठीक है बाकी केवल मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि पाटिल साहब को

MR. SPEAKER : Is he discussing about Mr. Patil here ?

श्री मधु लिमये : वह तो मिसाल के लिये मैंने कहा कि पाटिल साहब को जवाब नहीं मिल रहा है कि ऐसी-ऐसी चीजें क्यों होती हैं ? मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि यह पूंजीपति विदेशी हों या स्वदेशी हों ये मंत्रियों के रिश्तेदारों को एजेंसियां देते हैं, उनको वितरण का काम देते हैं। उनको बड़ी नौकरियां देते हैं उनको खुश रखते हैं और आगे चल कर जितना उनको देते हैं उससे कई गुना अधिक जनता से वसूल करते हैं, लूटते हैं। लेकिन इसके लिये उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती क्योंकि इनके रिश्तेदारों को और उनको इन्होंने खुश रखा है।

अभी हमारे देश में बड़े लोगों के लिए एक कानून है, छोटे लोगों के लिए एक कानून है। किसी को अगर वैद्यकीय जांच के लिये विदेश जाना है तो सर्जन जनरल का सिफारिशी पत्र लाना पड़ता है तब जाकर उनको पी० फार्म या विदेशी मुद्रा मिलती है। लेकिन बड़े लोग जाना चाहें और पाटिल साहब ने अदालत में कहा कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए और मैं मैडिकल चेकअप कराने के लिए गया था, उनको पूछा गया कि क्या आपकी तबियत खराब थी ? उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि मेरी तबियत खराब थी ? मेरी तबियत चुनाव के बाद हमेशा बढ़िया रही है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : 6 महीने आपके साथ रहने के बाद इनको वैद्यकीय इलाज की जरूरत महसूस हुई।

श्री मधु लिमये : आपको भी कुछ बनाने वाले हैं क्या? कांग्रेस का सभापति बनाने वाले हैं?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : बनने वाले तो बन गये अब लोग क्या बनायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : छोड़िये इन बातों को।

श्री मधु लिमये : यह तो चलता है। अब मैं कह रहा था कि पाटिल साहब ने रिजर्व बैंक को कहा कि बिजल नाम के फायरस्टोन के भूतपूर्व जनरल मैनेजर का मैं मेहमान बन कर जाने वाला हूँ और वह सब खर्चा करने वाले हैं। वह इस तरह अमेरिका पहुँचे

MR. SPEAKER : He should come to the report now.

श्री मधु लिमये : मैं आ रहा हूँ। पाटिल साहब ने कहा कि दालामल नाम के एक सेठ ने मेरा खर्चा किया। अब उस दालामल के बारे में मैंने सवाल पूछा। यह बतलाया गया कि यह व्यक्ति ऐसा है कि इसके घर पर जब अभी छापा पड़ा था तो कई इनक्री-मिनेटिंग औब्जैक्ट्स और डाक्युमेंट्स पकड़े गये थे। चार किलो सोना किसी को दिया था तो उसकी रसीद इस तरह की सारी चिट्ठियां मेरे पास सबूत के लिये मौजूद हैं लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि सब को बतला सकूँ। गरज यह कि वह सारी चीजें उनके घर पर छापे के दौरान मिली थीं। रिजर्व बैंक के साथ भी उन्होंने धोखा किया लेकिन अभी तक वित्त मंत्री जी ने इनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं जगजीवन राम जी करीब-करीब 5 साल रेल मंत्री रहे। इन दिनों में रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन करनैल सिंह, जगजीवन राम जी, अभी चंद प्यारे लाल और जीतपाल इन लोगों का इतना आपस में गठबन्धन था कि करोड़ों

रुपये की लूट रेल मंत्रालय के नाम पर इन लोगों द्वारा की गई है? क्या इनका रिश्ता था? अध्यक्ष महोदय इस के बारे में सारे सबूत तो इस वक्त मैं नहीं रखने वाला हूँ धीरे-धीरे मैं रखूंगा। इस समय मैं केवल एक ही पत्र पढ़ना चाहता हूँ सबूत के तौर पर। यह पत्र कलकत्ते के एक घर मालिक एक शख्स ने अपनी बहिन की ओर से जगजीवन राम के लड़के को लिखा है

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : How is it relevant here?

श्री मधु लिमये : बिल्कुल रिलेवेंट है। मैं साबित कर रहा हूँ कि मंत्रियों का और उनके परिवारों वालों का और रिश्तेदारों का बेईमान पूंजीपतियों से क्या रिश्ता है?

SHRI SWARAN SINGH : How it is relevant?

श्री मधु लिमये : मैं बता रहा हूँ कि आप के जीतपाल के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ इसलिये आप डर रहे हैं।

SHRI SWARAN SINGH : On a point of order. The point is this. The hon. Member has to move two motions and both the motions are to be discussed together. The motions are :

"That the areas of divergence between the Public Accounts Committee and the Government as revealed, among others, in the Fifth Report of P.A.C. on action taken by the Government on the recommendations of the Committee contained in their Fifty-fourth Report (Third Lok Sabha) in regard to the lapses"

He should confine himself to the areas of divergence between the Public Accounts Committee and the Government as revealed in the Fifth and Fourth Reports. It is not a general discussion though it is very interesting. The first point is

श्री मधु लिमये : इसमें जो लैप्सस है इसको जरा जोर से पढ़िये।

SHRI SWARAN SINGH : . . . what are the lapses and (2) the areas of divergence between these lapses and the Government's action and a purposeful discussion can taken place only in that form. Otherwise, it may become a discursive thing. It may be very interesting. He may have political ideas and political motive to raise all these things. We are accustomed to that. But the important thing is that he should confine himself to his motion if relevance is the important thing.

MR. SPEAKER : There is no question of ruling.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : You will observe the unusual interest shown by the Cabinet Ministers by their presence here. Have you found them here in such numbers on any other occasion ?

MR. SPEAKER : 'Lapses' does not mean all lapses in the whole world. It means the lapses pointed out by the Public Accounts Committee. That is the point we are discussing.

श्री मधु लिमये : पी० ए० सी० की रपट में शायद ही कोई मंत्री बचा है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ।

MR. SPEAKER : You should now confine yourself to the lapses.

श्री मधु लिमये । मैं अपनी बात को साबित करना चाहता हूँ। पी० ए० सी० ने पचासों दफा इन बातों की ओर सरकार का और सदन का ध्यान खींचा है। लेकिन . . .

MR. SPEAKER : Any lapse which is pointed out by the Public Accounts Committee can be discussed.

श्री मधु लिमये : फिर भी क्या बजह है कि इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

MR. SPEAKER : Public Accounts Committee has pointed out something

and Government has accepted some thing.

श्री मधु लिमये : बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर मैं आने वाला हूँ। ये बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं।

SHRI SWARAN SINGH : How is it related to this, Sir? I would again appeal . . .

श्री मधु लिमये : आप चुप बैठिये। एक बार हो गया है। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ।

SHRI SWARAN SINGH : I am not asking for any mercy from him. I am rising on a point of relevance and point of order.

श्री मधु लिमये : इस तरह बार-बार कैसे खड़े हो सकते हैं? मेरा समय जा रहा है। मुझे समय देंगे तो मैं पांच मिनट के लिए भी बैठने के लिए तैयार हूँ।

SHRI SWARAN SINGH : There is no question of yielding. The point is that it is a limited discussion under Rule 193.

श्री मधु लिमये : इनकी बात भी खल रही है।

SHRI SWARAN SINGH : There is no use of talking in this extremely irresponsible manner. The third point is : he must point out what are the lapses and what the divergences are and he cannot discuss novels here.

SHRI S. M. BANERJEE also rose.

MR. SPEAKER : Mr. Banerjee, will you please sit down? No heat should be created.

श्री मधु लिमये : ये भी उनके साथ जुड़े हुए हैं।

SHRI SWARAN SINGH : I take strong exception to this insinuation. It has become a fashion to talk in this irresponsible manner. (*Interruptions*)

श्री मधु लिमये : पी० ए० सी० ने यही कहा है और मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूँ पिछले चैयरमैन श्री मोरारका साहब ने यहां यह चेतावनी दी थी कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसके पास जीत पाल आदि पहुंच न सकें। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं सारी रपटों को पढ़ कर आया हूँ।

MR. SPEAKER : I would now suggest that we may confine ourselves to the Public Accounts Committee reports and the charges there. Now it is only one-hour discussion and 3 or 4 Members want to speak. May you please now quickly finish it? Now it is understood by everybody that it must be confined to what the Public Accounts Committee has said.

श्री मधु लिमये : मैं पत्र* को पढ़ने जा रहा हूँ।

"I received your letter of 24th ultimo in time, but I could not reply so long as Mr. Jit Paul was out of Calcutta and returned to Calcutta on 29th and I wanted to consult him before replying. I showed him your letter.

In the meantime, when I showed him your first letter, he immediately told me that he would not be responsible for any further rent.

In the circumstances I looked for new tenants. When I showed Mr. Jit Paul your last letter, he told me to finalise the deal with the new tenant and asked me to convey to you that he would arrange for your accommodation in Calcutta if he gets 3 days notice prior to your arrival. I am in an awkward position. Mr. Jit Paul has definitely settled with me and he told me that he would not be responsible for any further rent. On the other hand, as the two bed rooms are locked, I cannot arrange for necessary repairs and rent

out that flat, I would, therefore, request you to come to Calcutta immediately and arrange to remove your luggage. If it is not possible for you to come to Calcutta, please send the keys either to Mr. Jit Paul or to me."

मतलब यह है कि कलकत्ता में जगजीवन राम जी के लड़के का रेंट किराया जीत पाल साहब दे रहे थे।

MR. SPEAKER : How is it relevant to the report of the PAC?

श्री मधु लिमये : मैं और भी सबूत दे सकता हूँ। सब सबूत हैं। मैं उनको खत्म नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा था कि पूरी लिस्ट मैं इस वक्त न दूँ। इस वास्ते बाकी मंत्रियों के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ।

MR. SPEAKER : The hon. Member cannot go on with this. We shall not have enough time, and we may have to adjourn the House in that case.

SHRI SWARAN SINGH : We must have time to answer also.

MR. SPEAKER : We shall see that later on. But one hour cannot be extended further beyond six o'clock.

श्री मधु लिमये : जहां तक सवाल है खराब टायरो का सइस में तीन मंत्रालय दोषी है। पी० ए० सी० की पहली रपट पिछले नवम्बर में आई थी। उसमें उसने कहा था कि मालाड डिपो के कर्मांडिंग अफसर मेजर सिंह साहब ने न केवल इन खराब टायरों को खरीदा ही बल्कि सेना के फार्वर्ड एरियाज़ में इन टायरों को भेजा भी, इसके बारे में बहुत सारे मैंने दस्तावेज वगैरह पी० ए० सी० को दिये थे। इन्होंने पहली रपट में कहा था कि इसके बारे में जांच की जाए। लेकिन पी० ए० सी० की सिफारिशों के बारे में इनका रुख क्या रहा है? इन्होंने

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the letter was not treated as laid on the Table.

पी० ए० सी० की रिपोर्ट आने के पश्चात् पन्द्रह दिन के बाद इस अफसर को सेना से मुक्ति पाने की इजाजत दी जबकि पी० ए० सी० ने कहा था कि इसकी जांच कर उसको सजा दो। अध्यक्ष महोदय, किसी भी दूसरे देश में अगर ऐसा काम किया जाता तो सिंह साहब को भी और जो जो मंत्री और जो जो सरकारी अधिकारी और जो जो सेना अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं उनका कोर्ट मार्शल करके उनको फांसी पर लटका दिया जाता। आज हमारी सेना भी सड़ने लगी इन अफसरों के कारण। पी० ए० सी० की जो नई रपट आई है उसमें से मैं सब नहीं पढ़ना चाहता हूँ। एक ही जुमला मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि इन को सजा दो। अन्त में वह क्या कहती है इसको आप देखिये :

"The Committee have also not been able to appreciate how the irregularity committed by the COD, Kandivli-Malad in accepting 5904 THR tyres in lieu of cross-country tyres in contravention of the instructions of the Army Headquarters was overlooked while processing his application for premature retirement and he was allowed to retire on 16th December, 1966 and that contrary to the instructions of the Defence Secretary that an investigation should be undertaken into the case and the observations made by the PAC on the conduct of this officer in their 64th report presented to the House on 30th November, 1966.

मेजर सिंह साहब सेना से मुक्ति कैसे पा गए, इसके पीछे बड़ा रहस्य है और यह रहस्य जब खुलेगा तो बड़े-बड़े लोग और बड़े-बड़े अधिकारी पकड़े जायेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि इस मंत्रिमंडल में इस रहस्य का विस्फोट करने की हिम्मत है।

स्प्लाइ मिनिस्ट्री को भी उन्होंने दोष दिया है। पी० ए० सी० ने दोष दिया है।

स्प्लाइ मिनिस्ट्री के जो डिप्टी डायरेक्टर गुप्ता साहब थे जिन का सवाल में एक दफा उठा चुका हूँ उनके बारे में यह कमेटी दूसरी रपट में मेरे द्वारा शिकायतें किये जाने के बाद कहती है :

"The Committee are distressed to note that a deputy director in the office of the DGS&D made a number of incorrect and misleading statements and showed an unusual interest in pushing through the purchase of tyres by defence indentors.

इनके बारे में भी पी० ए० सी० ने कहा था कि आप सख्त कार्रवाई करो। लेकिन ताज्जुब की बात है कि गुप्ता साहब जब तक सेवा निवृत्त नहीं हुए थे, रिटायर नहीं हुए थे, तब तो इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। गुप्ता साहब हों, मेजर सिंह साहब हों, उनकी मुक्ति और इनकी सेवा निवृत्ति यानी रिटायरमेंट दोनों का मामला ऐसा है कि इन्होंने

MR. SPEAKER : He may kindly also explain how Government have not accepted and where Government have not accepted the recommendation of the PAC.

श्री मधु लिनबे : मैं यही कह रहा हूँ कि नवम्बर महीने में यह सिफारिश करते हैं कि मेजर सिंह साहब के खिलाफ कार्रवाई करो लेकिन इनको मुक्ति कब दी जाती है, रपट आने के पन्द्रह दिन पश्चात्। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह सीधा विशेषाधिकार का सवाल है। इसमें पी० ए० सी० का और इस सदन का अपमान हुआ है।

उसी तरह डिप्टी डायरेक्टर के बारे में एक अरसे से शिकायतें चल रही थीं और सरकार के पास उन की जानकारी थी। सरकार को पता था कि ये टायर खराब थे, लेकिन फिर भी स्प्लाइ मिनिस्ट्री ने सरकार के विभिन्न विभागों पर, सुरक्षा मंत्रालय पर और सेना

[श्री ऋषु लिमये]

पर इस तरह दबाव डाला। रामकृष्ण कुलवंत-राय ने, जो अमीचंद प्यारे लाल के ही अवतार हैं—उन में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है—कुछ पैसा भी दिया होगा। इसी लिए सप्लाई मिनिस्ट्री ने यह सारा गन्दा काम किया है, जिस की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने आलोचना की है।

तीसरा मंत्रालय व्यापार मंत्रालय है। उस के बारे में मैं क्या कहूँ? जब यह टायर खरीदने का फैसला हुआ, तो रामकृष्ण कुलवंतराय कम्पनी हंगरी आदि देशों से मिल कर पहले उन की एजेंट बनी, उन से कमीशन लिया और फिर एस० टी० सी० से भी कमीशन लिया। उस ने दो दो कमीशन लिये। खराब टायर आए और उनको बेचने के लिए उस कम्पनी ने एस० टी० सी०, सप्लाई-मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन सभी मंत्रालयों का इस्तेमाल कर के उन के खराब टायरों को बेचा।

पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने कहा था कि जिन का नुकसान हुआ है, उन को मुआवजा दिया जाये। चार पांच साल से यह मामला चल रहा है, लेकिन ताजुब की बात है कि पंजाब के ट्रांसपोर्ट कापोरेशन ने अभी तक मुआवजे की मांग नहीं की है, क्योंकि उस पर दबाव डाला गया। इस बारे में सरदार प्रताप सिंह कैरों का नाम तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि वह गुजर गए। लेकिन उन के साथी सरदार साहब यहां बैठे हुये हैं। प्रश्न यह है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कापोरेशन ने अभी तक मुआवजे की मांग क्यों नहीं की है, जब कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने कहा है कि उस को मुआवजा मिलना चाहिए।

मैंने सुना है कि मंत्रि-मंडल ने यह फ़ैसला किया है कि अगर पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की सिफ़ारिशों को नहीं स्वीकार करना है, तो उस का फ़ैसला कोई छोटा या बड़ा अधिकारी नहीं करेगा, बल्कि उस का फ़ैसला मंत्री करेंगे। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के

सदस्य बैठे हैं, इस बारे में उन को मुझ से ज्यादा जानकारी होगी

आखिर जितने ये सारे मामले हैं, ये क्या है? मैं कहना चाहता हूँ कि इन में भ्रष्टाचार का त्रिकोण काम कर रहा है। वित्त मंत्री जा रहे हैं। अगर वह ज़रा बैठते, तो मैं उन को समझाता। अभी अभी टैक्सों की चोरी का मामला आया। 523 करोड़ रुपये से ज्यादा स बाकी हैं। मैं उन के पास पंद्रह पंद्रह साल पुराने कितने ही केसिज भेजे हैं, जिन में बम्बई के रुइया का 70 लाख रुपये का मामला भी था। लेकिन केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय से यह इस्टिमेशन गई कि यह कैस सेंट्रल विभाग में लिया जाये और उन पर पंद्रह या सोलह लाख से ज्यादा इनकम टैक्स न लगाया जाये। इस में कन्हैया सिंह, जमुना प्रसाद सिंह आदि बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिन को दो दो साल की एक्सटेंशन दी गई। जब हम उन पर हमला करने लगे, तो उन को रिटायर होने दिया गया।

यह भ्रष्टाचार का त्रिकोण जब तक रहेगा, तब तक हिन्दुस्तान कभी आर्थिक तरक्की नहीं कर सकेगा। अभी सरदार स्वर्णसिंह ने कहा कि इन के कुछ राजनीतिक उद्देश्य मोटिव, हो सकते हैं। मैं उन को कहना चाहता हूँ कि कोई आश्रमवासी आदमी नहीं हूँ। मैं राजनीति में हूँ और मैं ऐसी राजनीति चाहता हूँ, जिस से शासन का शुद्धीकरण हो, फ़िज़ूल-खर्चों पर रोक लगे, भ्रष्टाचार समाप्त हो और सारा पैसा पूंजीकरण, औद्योगीकरण और खेती के सुधार के काम में लगे।

अभी कम्पनियों के एन्टरटेनमेंट एलाउंस और एक्सपेंस एकाउंट की चर्चा आई थी। राजाओं के प्रिवी पर्स की तरह मंत्रियों और अधिकारियों के भी विशेषाधिकार हैं। उन को भी बहुत सारी चीजें मुफ्त मिलती हैं। उन विशेषाधिकारों के कारण, चाहे वे कम्पनियों के हों, मंत्रियों और अधिकारियों के हों या राजाओं के हों, देश तबाह होता आ रहा है। मैं इन बहसों को

केवल इस लिए उठा रहा हूँ कि हम लोग फिजूलखर्ची, भोग और भ्रष्टाचार का युग समाप्त करें और बराबरी, सादगी, पूंजीकरण, औद्योगीकरण, खेती-कारखाने के सुधार, और देश की आर्थिक तरक्की का रास्ता अपनायें।

अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि करीब-करीब एक हजार करोड़ रुपये हम सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं। हम लोग हमेशा अपनी सेना और जवानों की तारीफ़ करते हैं। सचमुच मैं जवानों की तारीफ़ करता हूँ। लेकिन हिन्दुस्तान का जवान तभी बहादुरी से लड़ सकता है, जब उस को सही नेतृत्व मिलता है। आज उस को इन लोगों से क्या नेतृत्व मिल रहा है? सेना भी सड़ रही है। मैं चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि आप इस सदन की एक कमेटी कायम कर के इन सारे मामलों के बारे में कोई ठोस और कड़ी कार्यवाही करने के लिए इन्तजाम करवाइये।

MR. SPEAKER : Motions moved :

- (i) "That the areas of divergence between the Public Accounts Committee and the Government as revealed, among others, in the Fifth Report of P.A.C. on Action taken by the Government on the recommendations of the Committee contained in their Fifty-fourth Report (Third Lok Sabha) in regard to the lapses connected with the failure to recover surcharge from M/s. Aminchand Pyarelal, be taken into consideration."
- (ii) "That the areas of divergence between the Public Accounts Committee and the Government as revealed, among others in the Fourth Report of P.A.C. on Action taken by Government on the recommendations of the Committee contained in their Sixty-fourth Report (Third Lok Sabha) regarding Purchase of Defective Tyres by the Army, be taken into consideration."

How much time will you require for replying ?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY) : I will require only five minutes.

SHRI SWARAN SINGH : I will not take long, about 10 or 15 minutes.

MR. SPEAKER : Mr. Banerjee, Mr. Nambiar and Mr. Kundu want to speak. I would only permit if they take two, three or five minutes. We must finish by 6.10.

श्री ना० स्व० शर्मा (डुमरियागंज) :
मैं भी बोलना चाहता हूँ।

MR. SPEAKER : Your name is not here, but does not matter.

SHRI JYOTIRMROY BASU (Diamond Harbour) : Would you allow me to ask a question? You never say no.

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) :
अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे मित्र, श्री मधु लिमये, ने बहुत सी बातों का स्पष्टीकरण किया है और कुछ बातों का राज़ फ़ाश किया है। हम लोग बिड़ला परिवार के बारे में चर्चा किया करते थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि अमीचंद प्लारेलाल भी एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं, जो इस सदन के एक ऐसे अनमोल हीरो बन जायेंगे कि हमेशा उन्हीं की चर्चा हुआ करेगी।

किसी ने कलकत्ता में, जीतपाल जी से पूछा कि आखिर आप इस तरह से काम करते जा रहे हैं, उस का क्या कारण है, क्या वाकई केन्द्रीय मंत्रिमंडल से आप का कोई रिश्ता है? उन्होंने जो जवाब दिया था, उस को मैं दोहराना चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि वह कहां तक सत्य है। यह तो मंत्री महोदय बतायेंगे। उन्होंने कहा था कि दुर्गापुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो हम ने जो बीस लाख रुपये खर्च किया था, क्या लोग समझते थे कि हमने वह दान किया था ?

MR. SPEAKER : Is that related to the Public Accounts Committee Report?

SHRI S. M. BANERJEE : You are too simple, you do not know these things, that is why I am referring.

उस ने कहा कि यह तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट था, मैंने बीस लाख रुपया इन्वेस्ट किया, अब उस इन्वेस्टमेंट का कुछ फल भी हमें मिलना चाहिए।

मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चयरमैन और सदस्यों को, जिन्होंने हिम्मत के साथ यह रिपोर्ट लिखी।

एक बात मेरे मित्र, श्री मधु लिमये, छोड़ गए। उन्होंने कलकत्ता में बन रहे अमीनचंद प्यारेलाल के पार्क होटल के बारे में नहीं कहा। जब हम ने उस के बारे में क्वेश्चन रोज़ किया, तो कुछ दिनों के लिए वह रोक दिया गया, लेकिन अब की मर्तबा जब मैं कलकत्ता गया था, तो मैंने देखा कि वह स्काई-स्त्रेपर की तरह बढ़ता जा रहा है। उस को परमिशन किस ने दी। फारेन एक्सचेंज किस ने रिलीज किया? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उस के लिए स्टील और सीमेंट कहां से आया। इन सब बातों की जांच की जानी चाहिए।

जहां तक सरकार कमेटी का ताल्लुक है, मैं सरकार साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हाकिम हैं। मैं नतमस्तक हो कर कहूंगा कि वह बड़े ईमानदार आदमी हैं। लेकिन सवाल यह है जो त्रिकोण है, बल्कि चोकोर है, इस की रोक-थाम कैसे होगी। मुसीबत यह है कि यह सिर्फ़ मेजर सिंह का सवाल नहीं है, माइनर सिंह उससे भी बड़े हैं।

घाटिल साहब का भी नाम आया। वह हमारे मंत्री थे। जहां तक हम उन को जानते हैं, वह बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं उन के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। वह डाक्टरी इलाज के लिए अमरीका गए, तो उन

को "पी" फ़ार्म दिया गया। उस में हमें कोई एतराज नहीं है। भगवान करे, वह शतायुं हों और बहुत दिन जिन्दा रहें, लेकिन सवाल यह है कि वहां पर किस व्यक्ति के यहां ठहरे।

MR. SPEAKER : What has it got to do with this? He is saying about somebody, somewhere!

SHRI S. M. BANERJEE : I am only quoting one sentence.

MR. SPEAKER : If I stop anybody from proceeding further, you will feel unhappy, but there must be some relevance somewhere. Some names are mentioned. We are losing time, and by your proceeding like this, the other speakers also will lose time. If this continues, I will immediately ask the Ministers to reply. Please conclude. I will wait for 10 more minutes before I call upon the Ministers to reply. You cannot take time at the cost of other friends.

श्री स० मो० बनर्जी : तो वहां पर एक सवाल उठाया गया कि बाकई अमेरिका यह गए थे तो किस के गेस्ट बने थे। उन्होंने डिनार्ड किया था लेकिन मोरारजी देसाई की चिट्ठी है जो 16 नवम्बर को उन्होंने मधु लिमये को लिखी है :

"In his statement before the court, Shri Patil is reported to have said that he actually availed himself of the hospitality of Mr. Dalamal."

जिन के यहां टॉजिस्टर निकला, सोना निकला वम्बई में।

"As Mr. Wenzel was away."

क्योंकि उन के अच्छे दोस्त बैजल नहीं थे तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ ठहरने के लिए और वह दालामल के पास ठहर गए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने जो देश के सामने सेवा की है वह बिल्कुल सही है और सरकार

कमेटी की जो रिपोर्ट होगी वह भी बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन रेस्ट्रिक्शन लागू होने के बाद भी पार्क होटल चार-चार, पांच-पांच और सात-सात मंजिला बन सकता है तो मैं यह कहूंगा कि सदन की एक कमेटी बननी चाहिए जो कि इस तरह के मामलों में जाये और जो भी करप्ट लोग हैं उन की जांच करे। सरदार स्वर्ण सिंह के खिलाफ कोई बात हो यह मैं नहीं चाहता क्योंकि वह हमारे सुरक्षा मंत्री हैं उन के खिलाफ आरोप होगा तो हमारे जवान कैसे लड़ेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि उन सारी बातों की छानबीन की जाये और उस के लिए सदन की एक कमेटी आप बना दें तो आप की बड़ी मेहरबानी होगी ताकि लोगों के चरित्र के बारे में किसी को कोई शंका न रहे। हालांकि कहना नहीं चाहिए क्योंकि यह तो काजल की कठोरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस के बारे में ऐसा फैसला हो जाय और कोई कमेटी आप बना दें।

MR. SPEAKER : May I suggest that only one or two questions may now be put by all the Members? I want to give a chance to all of them. I do not want to deny anybody the opportunity to put questions now. I have to confine to the time-limit.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : I shall only mention the specific points which have been raised. In the PAC's 54th report, it is said that the surcharge on the import of steel to the extent of Rs. 147.76 lakhs is to be recovered and that surcharge comes out of the agreement given by the steel importers and there were not properly made documents available because the banking clause was not put into operation. That was the charge of the PAC and now we find that this amount of Rs. 147 lakhs odd is not yet recovered.

In this connection, I would only read a few lines from the report to refresh our memory and to show how far this has gone. It says :

"The Committee cannot resist the feeling that the party secured for itself a favoured treatment from the office of the Iron and Steel Controller where for reasons unknown, all rules and regulations were set at naught and the Government machinery seemed to have worked more to uphold the interest of the party than that of the Government. The successive events relating to this case, depict the following serious lapses :—"

This happened in the period of Sardar Swaran Singh, I think. And fortunately or unfortunately, Shri C. Subramaniam had to bear the entire brunt; it is on his shoulders now. However, it is very clearly stated in the report. I am only reading from the report. I am not adding anything of my own, though I know many things more, and something more than what is stated. I do not want to drag in all the people here.

Now, the PAC Report has also stated :

"Even when a Committee was appointed in 1965 to look into these cases, the case of firm 'A' that is, Aminchand Pyarelal & Co., and the paraphernalia attached to them—

"was not considered despite the fact that it was accountable for many lapses and also for 35 per cent of the total outstanding amount."

There is also another sentence which says :

"... a thorough investigation should be made into this case for the various lapses at different stages and that the delinquent officials should be dealt with suitably."

The officials were not named.

"The Committee would like to be informed of the action taken in this matter."

So far, no information has been given. The officials are still there. The Ministry is still there. The Ministers go

[Shri Nambiar]

abroad, on medical leave, etc. This is in regard to steel.

Now, coming to the tyres. I only read what is in the report. I am not adding anything. In paragraph 1.30, at page 153 of the 64th report, the Committee says :

"It is also interesting to note that the STC in their letter dated 13th October, 1961 had told the firm of M/s. Ram Krishan Kulwant Rai....

This is a companion of Aminchand Pyarelal & Co.—

"to defer further shipments till such time as the existing stocks are liquidated, as the firm already have very large stocks of tyres on hand. But Shri Kulwant Rai already assured our Divisional Manager that there will be no difficulty in the sale of tyres ... " etc.

So, tyres had accumulated and the Government had to distribute the tyres to various ministries. All those tyres burst when it was most opportune for the enemy. Mr. Swaran Singh will agree that many of the tyres that went to the front did not roll forward but came backward.

The Fourth Report also says what has been done with regard to the earlier report. Why is it that no action was taken? In the Parliament also, this was repeated, but all those things will be only on the record and our ministers will not take action. That is our complaint. Mr. Limaye says, there is a connection, there is a chain and so many vested interests are behind this. That is why they are not taking action. His charge is right and we feel that the country is being defrauded to the extent of several crores of rupees by the lapses of the officials supported by the ministers.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) :

अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलना नहीं चाहती थी यहां इस के बारे में। परन्तु चूंकि कुछ सवाल ऐसे उठाये गए हैं तो मैं ने सोचा कि मैं भी इस पर कुछ कहूं। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी

के सदस्य होने के नाते अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहती हूं। यों में इस की ताईद करती हूं कि श्री मधु लिमये जी यह बात यहां पर लाये हैं और यह एक अच्छी व्यवस्था हम ने कायम की है कि हम गाहे बगाहे कोई जरूरत समझें तो आप से इजाजत ले कर पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट या उसके ऊपर जो कार्यवाही हुई है उस के बारे में चर्चा करें।

MR. SPEAKER : Only those recommendations which have not been accepted by the Government, upon which action has not been taken—that is the point.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: जी हां, उसी के बारे में और वही मैं कह रही हूं। आप से इजाजत लेने का मतलब ही वह होता है। परन्तु इस के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं और जो आप ने भी बार बार कहा है। मैं मधु लिमये जी और उनके साथियों से भी इस बात की प्रार्थना करना चाहती हूं कि हमेशा हम ने इस बात की व्यवस्था को माना है। मैं पहली बार की याद दिलाऊं कि श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी जी ने बहस यहां पर उठाई थी उसी तरह की 22-8-66 को। उस में यह बात तय की गई थी कि खास कर जिन बातों से उस रिपोर्ट का ताल्लुक है और जिन पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया हो तो केवल उन्हीं बातों की चर्चा यहां पर होगी। अध्यक्ष महोदय, लोक सभा को बहुत से मौके ऐसे मिलते हैं जब कि बड़ी-बड़ी बातों का चर्चा हम करें या जो बातें ऐसी होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, उन की चर्चा हम यहां कर सकते हैं। श्री मधु लिमये जी को भी इजाजत है और श्री एस० एम० बनर्जी साहब को भी इसके लिए मौके मिल सकते हैं।

17.49 Hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

श्री स० मो० बनर्जी : आप चेयरमैन बन जाइए, . . .

श्रीमती नारकेश्वरी सिन्हा : नहीं, नहीं, मैं जहां बैठी हूं वहां पर ही आप मेरी बात मानेंगे, यह मुझे यकीन है।

तो मैं कहना चाहती हूं यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम हमेशा पब्लिक एकाउंट्स कमेटी को एक छोटा पालियामेंट समझते हैं। वहां पर कोई दलगत भावना से हम काम नहीं करते हैं बल्कि सभी दलों के लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं और हमारा यही विचार रहता है कि सरकार की बचत हो और हमारे शासन का काम सुचारू रूप से चले। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के प्रस्तावों या सुझावों के बारे में अगर हम अपनी बातों को उन्हीं सभाओं तक रखें तो यह निश्चित है कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के जो विचार हैं उन के बारे में कोई तर्क वितर्क नहीं उठाया जायगा। लेकिन अगर हम उन बातों का विस्तार कर के और बहुत सी बातें उस में लायेंगे तो हमें डर है इस बात का कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर जो सरकार द्वारा कार्यवाही करने की बात कही जाती है उस को एक बहस की बात बना कर हो सकता है कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की जो राय है उस के स्तर को हम जिस ऊंचाई पर रखना चाहें वह न रख सकें। मैं इसीलिए माननीय सदस्यों से इस बात की अपील करना चाहती हूं कि जब भी हम बहस करें तो इन बातों का ध्यान रखें। यह हर जगह नहीं होता है कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रपट पर चर्चा हो। हमारे यहां भी पहले चर्चा नहीं होती थी। पर श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी जी ने जब 66 में कुछ सवाल उठाये थे तो अध्यक्ष महोदय ने उन सवालों के ऊपर बहस करने की इजाजत दी थी। परन्तु साथ ही साथ इस बात का भी इकरार किया गया था उस समय और सब लोगों ने माना था कि हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जिसकी रिपोर्ट में चर्चा हो। श्री नम्बियार, बनर्जी साहब और श्री मधुलिमये ने उन रिपोर्ट्स की चर्चा की है, जिस के बारे

में कार्यावाही सरकार ने की है या नहीं की है—मैं उन का ध्यान पांचवीं रिपोर्ट के पन्ना 64 और 67 की तरफ दिलाना चाहती हूं। जब सरकार का उत्तर हम लोगों को मिला और इस को हम ने देखा तो पी० ए० सी० ने खुद अपनी कोई राय नहीं दी। श्री नम्बियार ने जो सरचार्ज की बात उठाई, उस के बारे में सरकार ने जो उत्तर भेजा था, मैं उस उत्तर को यहां पर पढ़ कर सुनाना चाहती हूं—चूंकि वह पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की पुस्तक में है....

श्री मधु लिमये : आप उस को क्यों पढ़ रही हैं.....

श्रीमती नारकेश्वरी सिन्हा : पहले आप सुन लीजिये। मैं सरकार की बकालत नहीं कर रही हूं, पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसकी चर्चा कर रही हूं। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने चूंकि उस पर अपनी राय नहीं दी है, इस लिये उसकी चर्चा कर रही हूं।

"In their note (Pages 64 to 67 of the 5th Report) showing action taken on the recommendations of the Committee, the Ministry have stated :—

(i) & (ii) Out of 40 Letter Orders issued in 1961, seven were defective. The defect in the Letter Order is not containing any provision regarding surcharge or the Letter Order having not been endorsed to the Surcharge Section was not merely restricted to this particular firm but such defect was a general one as the Letter Orders issued to two other firms also contained that defect.

The question of fixing responsibility for the procedural irregularities that occurred in various stages of the case is being looked into by the Ministry.

The Ministry have concluded that a particular party did not secure for itself favoured treatment from the Office of the Iron and Steel Controller, and 'no special favouritism was deliberately shown to this firm'."

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

यह जवाब हमारे सामने आया। हम ने उस पर कोई सुझाव नहीं दिया, यह कह कर कि ये सारी चीजें सरकार कमेटी के सामने हैं, इस लिये हम इस पर सुझाव नहीं देना चाहते हैं। जब सरकार कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी, तब जवाब देंगे कि इस के बारे में क्या करना चाहिये। इस लिये पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के मुंह में उन बातों को रख देना

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा एतराज है। मैंने मेजर सिंह और डिप्टी डायरेक्टर गुप्ता के बारे में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में जो कहा है, उस का उद्धरण दे कर कहा है। इस के बारे में मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा था। आपने मेरा भाषण नहीं सुना, आप दूसरी ही चीजों में मस्त थीं

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री मधु लिमये समझते हैं कि उनके कान, उनकी नाक और उनकी आंखें ही इस सभा में हैं और बाकी सब लोग उन्हीं की जुबान में बोलते हैं, उन्हीं की आंखों से देखते हैं और उन्हीं के कानों से सुनते हैं। उन को सुनना चाहिये था कि श्री नम्बियार ने क्या कहा था। उनके कान, आंख और नाक को इतना दावा है कि जरूरत से ज्यादा अजीर्ण हो गये हैं। उन को पता नहीं कि उनकी जबान के अलावा दूसरों की भी जबानें हैं, आंखें हैं, कान हैं। वह अपनी इस गलतफहमी को हटा दे तो बहुत अच्छा होगा। श्री नम्बियार ने चर्चा की थी। वह खुद दूसरों की बात को सुनना नहीं चाहते हैं

श्री मधु लिमये : आप रपट देखें

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री मधु लिमये अपनी आदत से लाचार हैं। दूसरे की बात सुनना उन के लिये महापाप है। मैं उन को माफ़ करती हूँ—उन की आदत पड़ गई है अपने मुंह मियां मिट्टू बनने की। जिनकी आदत हो जाती है, उनका यही हाल होता है। श्री मधु लिमये को मैंने जो यह बातें

कहीं हैं—इस का मुझे अफसोस है पर मजबूरी है। मैं एक बात कह रही थी—जो कि कागज़ में है, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इस के बारे में कोई बहस नहीं की। लेकिन उन को तो हर जगह शक मालूम होता है। क्योंकि मैं कांग्रेस सदस्या हूँ, बोलने के लिये खड़ी हो गई हूँ, तो उन्होंने अपनी आंखों पर चश्मा लगा लिया—इस लिये गलतफहमी हो जाती है

श्री मधु लिमये : मैं आप से पूछूँ कि आप क्या कह रही थीं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं यह कह रही थी कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इस के ऊपर अपना कोई सुझाव नहीं दिया है। उन्होंने यह कहा है कि सरकार कमेटी की रिकमेन्डेशनज़ और सुझाव जब आ जायेंगे हमारे पास, तब उस के बारे में हम अपनी राय देंगे। अगर यह कहकर, अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई नागवार काम किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम आप तो मेरी ताइद करेंगे ? वह करें या न करें, चूँकि वे दया के पांव हैं व्यवधान मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ

SHRI NAMBIAR : A reply by the Minister is not sufficient. He has given thousand and one replies. But that will not do.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : नहीं हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। परन्तु पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उस के बारे में नहीं कहा है। हम को वह उत्तर पसन्द है या नापसन्द है, अच्छा है या बुरा है, सन्तोषजनक है या नहीं है, यह सबाल नहीं है। पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के मुंह में मैं बड़े अदब से कहना चाहती हूँ, उन बातों को न रखा जाय

SHRI NAMBIAR : The Sixty-fourth Report holds good. She cannot twist it.

श्री मधु लिमये : किस ने पी० ए० सी० के मुंह में बातों को रखा है? अध्यक्ष महोदय, ये पी० ए० सी० की सदस्या हैं और इस तरह से बोल रही हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में जो कुछ कहा गया है, उस में जिन लोगों के नाम लिये गये हैं—यह उचित नहीं है कि हम उन लोगों के नामों की चर्चा यहां पर करें। मैं इस बात को साफ़ तरीके से कहना चाहती हूँ और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की एक सदस्या के नाते कह रही हूँ—अगर हम ऐसे नामों की चर्चा यहां पर करेंगे तो हम....

श्री मधु लिमये : आप क्या बात कर रही हैं.....

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं ठीक कह रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट और उसके सुझावों के ऊपर कार्यवाही नहीं की गई है—इस आधार पर जिन बातों को यहां पर रखा गया है, उनको रखने की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ़ यहां लाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस लिये ऐसे कामों से हम पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के महत्व को घटायेंगे, बढ़ायेंगे नहीं।

श्री नारायण स्वरूप शर्मा (डुर्भारयागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जब पहली बार मुझे इस बात पर बोलने के लिये कहा गया और मैंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं आती कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और मधु लिमये जी के पास गया और उनसे पूछा कि क्या ये सारी बातें सच हैं? वह मेरी ओर देखने लगे। अब जब मधु लिमये जी पाटिल साहब का कन्फेशन पढ़ कर सुना रहे थे—तो पता चला कि पाटिल जी को भी यह बात पल्ले नहीं पड़ी कि किस तरह से यह बदनाम कम्पनी इतना सब कुछ कर देने के बाद भी

अभी भी व्यापार कर रही है—तो मुझे कुछ सान्त्वना मिली।

मैं तारकेश्वरी जी की बात से कतई सहमत हूँ कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और नौकरशाही और मंत्री मंडल में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये तथा इन सब बातों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिये, पर उनकी इस बात से सहमत नहीं कि पार्लियामेंट को यह मामला सुनने का अधिकार नहीं है। दो मिनट के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहते हैं कि मैं कुछ डाइबरजेन्स के बारे में कहूँ, उस हैसियत से मैं दो मिनट में क्या कह सकता हूँ लेकिन फिर भी यह जरूर कहा जा सकता है कि यहां पर इस बात को नहीं लाना चाहिये था, और इसमें ऐसी बातें हैं, कि जिन पर कमेटी ने अभी पूरी तरह विचार नहीं किया है—यह गलत है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्या का ध्यान रिपोर्ट में समरी की ओर दिलाना चाहता हूँ, उसमें आप कम-से-कम 15-20 प्वाइन्ट ऐसे पायेंगे कि जिनके बारे में कमेटी ने सिफारिश की पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पैरा 2, पेज 58, पांचवीं रिपोर्ट को पढ़िये, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने कहा है.....

श्री मधु लिमये : हम चौथी रपट की बात कर रहे हैं?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : चौथी और पांचवीं दोनों रिपोर्टों में चर्चा की गई है।

श्री मधु लिमये : हम चौथी की बात कर रहे थे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैंने पांचवी रिपोर्ट के बारे में कहा है। तकलीफ़ तो यही होती है कि आप सुनते नहीं हैं, अपनी जुबान इतनी प्यारी है कि आप दूसरे की सुनते नहीं हैं।

श्री मधु लिमये : मैं यह अर्ज कर रहा था कि हम चौथी रिपोर्ट से पढ़ रहे थे। सरकार कमेटी के बारे में

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सरकार कमेटी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। जो मैं उत्तर पढ़ रही थी, उसका ताल्लुक उन बातों से है जिसका रेफ्रेंस सरकार कमेटी को दिया गया है। इस लिये पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में मैंने जो कुछ पढ़ा

18 HOURS

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member should desist from interrupting because she has had her say. I have to conclude this debate in five minutes.

श्री नारायण स्वर्ण शर्मा : समरी में से मैं एक दूसरी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

"The Committee are unable to appreciate why Government waited till 18th April, 1967, to constitute an Inter-Departmental Committee to consider the various recommendations/observations made by the Public Accounts Committee in their 64th Report".

तीन महीने तक इंतजार किया गया और कमेटी नहीं बिठाई गई। यह डाइवरजेन्स हो सकता है या नहीं यह एक वैधानिक प्रश्न है पर मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य दिलाना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त और सुनिये :

"The Committee are also constrained to point out that Government did not take prompt notice of the recommendations of the Committee inasmuch as the Officer Commanding, Malad, against whom the Committee had passed strong strictures and recommended investigation, was allowed to retire prematurely from service on 16th December, 1966, i.e., two weeks after the presentation of the Report of the Committee on 30th November, 1966."

अगर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ और नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ—

श्री मधु लिमये : मेजर सिंह।

श्री नारायण स्वर्ण शर्मा : उसको अगर रिटायर कर दिया जाता है तो सच्चाई को जानने का क्या हमें अधिकार नहीं है? मैं किसी व्यक्ति पर कोई आरोप करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन नौकरशाही किस तरह से चल रही है इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

यहां तक डाइवरजेन्स का सम्बन्ध है, एक और बात मैं बताता हूँ :

"the State Trading Corporation took no steps whatsoever to have the quality and the specifications checked up with reference to the contracts made by them even after the receipt of the complaints from the importers themselves."

अगर इस तरह की प्रमादपूर्ण बातें भी हम लोग यहां नहीं रख सकते हैं उनकी चर्चा नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार हम यहां पर बैठे किस लिये हैं?

"It seems that M/s. Ramkrishan Kulwant Rai had obtained compensation amounting to Rs. 6.19 lakhs from the foreign suppliers."

यह जो करीब सात लाख रुपया विदेश से मुआवजे के रूप में उनको मिला अभी तक भी जिन लोगों ने टायर खरीद कर नुकसान उठाया उनमें इस मुआवजे को नहीं बांटा गया। इस बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। पालिमेंट को इसमें जाने का अधिकार है। गवर्नमेंट क्यों नहीं कमेटी की बात को मान रही है और अगर वह मानेगी तो कब मानेगी।

आगे आप देखिये, कमेटी क्या कहती है :

"the Committee deprecate the attitude of the State Trading Corporation in not communicating vital information regarding specification, quality

and performance expectations of the imported tyres to the Director General, Supplies and Disposals specially when it was known that these tyres were being procured for the use of Defence Forces."

समाजवाद के नाम पर अगर सरकार पूरा व्यापार अपने हाथ में लेना चाहती है और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के जरिये काम को चलाना चाहती है तो इस पर अकुंश रखने का इस संसद को अधिकार है, एक सदस्य के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हमको उसको कंट्रोल करने का पूरा अधिकार है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please just put a question now.

श्री नारायण स्वर्ण शर्मा: मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूँ।

SHRI SURENDRANATH DWIVEDI (Kendrapara): Let him complete. You have given so much time to others. Either the debate should have been confined only to the Mover or if you permit some Members there you have to permit some here also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Speaker has already ruled that some questions will be permitted.

श्री नारायण स्वर्ण शर्मा: मैं अपना मत नहीं दे सकता हूँ, इतने थोड़े से समय में। मैं आपकी नजरों में अधिक समय ले रहा हूँ। लेकिन मैं अपना मत कोई नहीं दे रहा हूँ केवल जो कुछ कमेटी ने कहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ।

"The Committee need hardly stress that the State Trading Corporation being a public undertaking, should adopt procedures which would be above all suspicion."

इस तरह का प्रोसीजर वहाँ एडाप्ट किया जाना चाहिये था कि जो मिनिस्ट्रीज के आदेश थे वे शीघ्र ही निर्देश व्यक्तियों तक पहुंच

पाते। ऐसा होने में भी एक साल लग गया और उसके बारे में सरकार ठीक तरह से पता भी नहीं कर सकी कि किस के ऊपर दोष लगाया जाए। गवर्नमेंट ने इस संबंध में भी ठीक तरह से आदेश अभी तक नहीं दिये। ऐसा मालूम होता है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने भी इसके ऊपर जोर नहीं दिया कि दोष निश्चित करने के बारे में जल्दी की जाए। एक और बात कह कर मैं समाप्त करता हूँ:

"for a public sector undertaking like the State Trading Corporation the responsibility to the user should have weighed with them a little more than the responsibility of the Associate."

उपभोक्ता के प्रति भी कोई दायित्व की भावना नहीं दिखाई गई। कमेटी आगे कहती है:

"The Committee note that as many as 1425 imported tyres.....were received by COD Kandivili..... and that he further accepted 1881 tyres after that date against the rate contract..... The Committee are not able to appreciate as to why Government have not chosen to take action against the concerned officer for non-compliance with their instructions."

If this is not the divergence, what else could it be? One or two things more and I have done.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry. You have already taken 5 minutes. You must conclude now. Shri Kundu.

SHRI N. S. SHARMA: All right, Sir.

SHRI S. KUNDU (Balasore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, as you know, the Public Accounts Committee is a watchdog of democracy. I should say its report is the Bible of this House. It is really, indeed, unfortunate that the recommendations made by this Committee are given very scant regard by this

[Shri S. Kundu]

Government. I am not going to indulge in surmises. I would like to speak on only two points.

The first thing is that if you do not take a quick decision and you deliberately connive with those officers who have committed guilt, who are found guilty, and delay the matters, you help them to escape. After strictures are made, if the Government do not immediately take any action on those officers and, only after a long time, you appoint a committee headed by a judge or anybody else or it is refused to C.B.I., nothing will come out of it. These are the two points which go with the spirit of the Constitution and the functioning of the Public Accounts Committee.

I want to draw your attention to the Fifth Report of the P.A.C. What does it say?

It says :

"The Committee are constrained to observe that in spite of their repeated recommendation and request to the Ministries that their replies should be furnished within three months, the majority of the Ministries/Departments have not adhered to this request."

This is a sorrowful thing. This is not the only thing. There are various other things as well. The period of three months has also been increased to six months but in spite of it the Ministry have not cared to send their replies.

SHRI NAMBIAR : They couldn't.

SHRI S. KUNDU : They simply say, "These are noted." This is a very sorrowful thing. The entire democracy is in danger in the hands of black-marketeers, corrupt officials and corrupt persons who are in larger proportion in the Congress Party. The future of democracy, the image of democracy, is going to be tarnished unless you clear and absolve yourself of the charges made.

There is the Sarkar Committee. That Committee was appointed after a long time, after a prolonged delay, on the steel transactions after crores of rupees were wasted. What will the Sarkar Committee do? I have great respect for that Judge. But, when the Sarkar Committee has been constituted, the relevant documents may not be available. The Public Accounts Committee has said that, Nobody has cared to read this which I have been doing during the last few months. Some of the documents are not available. There is a fight between the Accounts Section and the Ministry. The Accounts Section does not want to take up the responsibility for accounting. What will the Sarkar Committee do? The Minister ought to know that, after 10 years of some sort of corruption, black-marketing and all that, if you just say that you are appointing a committee, you cannot do justice to that.

Another matter which I want to point out is that the corruption has been in these three things, tyres, steel and fertilisers. If you hear the tyres story, you will be astonished to know what has been happening. I am not going to repeat all that. One of the most revealing things which this Committee finds in the evidence tendered before them is that M/s. Kulwantrai and others were not given an agency. The officials of the Commerce Ministry have said that it was advised not to give agency because the S.T.C. will directly import from Czechoslovakia and Hungary.

AN HON. MEMBER : The S.T.C. is a menace.

SHRI S. KUNDU : It is not a menace. It is they who have made it a menace. The officials of the Commerce Ministry said that it was not advised to give agency because these private firms indulged in mal-practices and corruption. But what happened? No reason has been recorded as to why these firms have been allowed to import and that too with high percentage of commission. What have the firms done? They have taken double commission. One commission from the

STC and another from Hungary, and they have not informed the STC about this. It is very strange! This commission amounts to crores of rupees...

AN HON. MEMBER : They are not blacklisted ?

SHRI S. KUNDU : They are not blacklisted. How can they be blacklisted? Who will pay to the Congress Party coffers if they are blacklisted? After this has been done, after these people have taken crores of rupees, when the Committee went and wanted to check up the accounts, these firms refused to show their accounts which they had with foreign firms. This is a very strange thing! What has the Government done? Could the Government not have arrested them, put them behind the bars and realised the amount? (Interruption) If after ten years you appoint a committee with a High Court Judge, by that time they would have changed their signboards; Kulwant Rai would have become Balwant Rai. It is time that all this fraud and hypocrisy practised in the name of democracy was put an end to.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may sit down.

SHRI S. KUNDU : If I had time, I could point out beautiful passage from this, but I have to respect the Chair.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Ram Sewak Yadav. He may ask only one question. I have to call the Minister.

श्री रामसेवक यादव (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बिल्कुल साफ़, सीधा और शुद्ध है और मैं उस का जवाब भी उसी तरह चाहूँगा। चूँकि सरकार समिति का काम बड़ी मन्थर गति से चल रहा है, काराजात नहीं मिल रहे हैं, दस्तावेज नहीं आ रहे हैं, जिस से यह पता चलता है कि ये लोग मामले को टालना चाहते हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते हैं। क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूँ कि क्या वह अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिये और इन मामले को

जल्दी से तय करने के लिए, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, इस बारे में डायरेक्टर रेवेन्यू इन्टेलिजेंस की भी सहायता लेगी और यह मामला उस के सुपुर्द करेगी ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH) : I would, at the very beginning, like to say that Government attaches the highest importance to the recommendations and findings of the Public Accounts Committee. This is a Committee of Parliament, in which all Parties are represented and it is now being presided over by the distinguished Member on the Opposition, a leader of one of the Groups, Mr. Masani. We have never looked upon the recommendations of the Public Accounts Committee in any spirit except with the highest respect and, therefore, we, in all Ministries, take care to ensure that whatever are the recommendations of the PAC, they are given the highest importance and respect. It is in that spirit that I would like the House to judge the action taken by the Government.

The second point that I would like to mention is the manner in which we should deal with the Public Accounts Committee's reports and in this respect, I am very grateful to my colleague, Shrimati Tarkeshwari Sinha, who has lightened my task to a very large extent. (Interruptions) This is the spirit in which we should view the recommendations of the PAC. As soon as the Committee's report is presented, we in the Government start picking up the recommendations of the PAC; we should view it not in isolation, but we should also at the same time keep in view the attitude or the response of Government on those recommendations; if afterwards the Public Accounts Committee again comes to the conclusion that they had made a particular recommendation and that recommendation is not accepted by the Government, then the procedure has always been that the Public Accounts Committee's view will be there and the Government's view would also be placed before the House, and then it will

[Shri Swaran Singh]

be for the House to judge as to whether Government paid the highest respect to the findings or not or whether there was a viewpoint which may have escaped the notice of the PAC. This is the spirit in which it is viewed. (*Interruptions*) So far as the present discussions are concerned, they are limited to this as to whether there was any divergence between the recommendation of the PAC and the action taken by the Government; we have to see as to what are the points that have been urged by the hon. Member who has taken great pains to point out the divergence between the PAC's report and the action taken by the Government.

I would submit, Sir, that not a single case has been pointed out by any of the hon. Members in which it is said that the PAC have recommended this thing and we have either rejected it or turned it down or not taken any action.

(श्री मधु लिमये : मेजर सिंह के बारे में क्या किया ?) No such suggestion or allegation has been made. Therefore, I would submit that although very interesting points were raised and some of them quoted from hearsay and some of them based on extraneous things, there was nothing particular which can be described as a divergence.

श्री मधु लिमये : यह उत्तर है या और कुछ है ? मंत्री महोदय ठीक जवाब दें। हम ने मेजर सिंह के बारे में कहा था, गुप्ता के बारे में कहा था, लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि कुछ मुद्दा ही सामने नहीं आया है।

SHRI SWARAN SINGH : I am coming to that, Sir.

MR. DEPUTY SPEAKER : Is he not entitled to reply to the debate. I cannot compel any one to reply to every point. That is not possible.

SHRI NAMBIAR : Sir, he is making incorrect statement.

SHRI SWARAN SINGH : Sir, I am answering all the points that they have made. The stage has come when the House should clearly know the Government's attitude with regard to the Public Accounts Committee report and it is in this spirit that I have made those observations.

So far as the Defence Ministry is concerned, only one point has been made and it is mentioned in the Fourth Report, that is about the premature retirement of an officer, by name, Major Singh and it is contained on page 51.

SHRI MADHU LIMAYE : What about the delay in communicating the order ?

SHRI SWARAN SINGH : This is at 2.12 of the conclusions contained in this PAC report. Even with regard to this I would like to submit that a reply has been sent to the PAC and the PAC are considering that reply.

SHRI MADHU LIMAYE : They have rejected it.

SHRI SWARAN SINGH : They have not. To this a reply has been sent and they are considering that and I cannot do better than acquaint this hon'ble House with our attitude on this. We are not rejecting any of these recommendations. In fact we took several consequential actions on these recommendations and these were incidents which took place during the year 1962-63. It is very unfair that in a sweeping manner the hon'ble Member should try to put every one in the same sort of cover and try to impute motives where none existed. The way we dealt with this, is the only possible way of dealing with this matter of delay. There is no difference on approach; there is no difference on question of policy. It only boils down to hard realities.

Now, on this question of premature retirement, the Government's explanation is this—it is also contained in this report—which in all fairness should have been read by the hon'ble Member opposite.

SHRI MADHU LIMAYE : That has not been accepted by the Committee.

SHRI SWARAN SINGH : It is this :
 "The question of premature retirement of this officer was revived by the Military Secretary's Branch on 7th of October 1966 and processed by them with the officers concerned in the Defence Ministry dealing with that Branch. This file however, did not contain any reference to the Defence Secretary's note dated 2nd September 1966 as the Military Secretary Branch was not aware that the conduct of this officer was under investigation in another case. The proposal to prematurely retire this officer was approved by the Defence Minister on 1st of December 1966, that is before the PAC's 64th Report to Third Lok Sabha presented to the Lok Sabha on 30th of November 1966 was received in the Ministry on 3rd of December 1966."

SHRI MADHU LIMAYE : There was this lack of co-ordination.

SHRI SWARAN SINGH : Yes; when the case of premature retirement was revived by the Military Secretary Branch. To rectify this defect remedial action has already been taken as explained in the concluding portion of paragraph 1.157 of the PAC's Fourth Report to the Fourth Lok Sabha. The defect was one of procedure and it would be appreciated that no particular individual can be held responsible.

In accordance with the Army Act of 1950 no trial by court martial of any person subject to this Act can commence after the expiry of three years from the date of such offence.

I am saying most respectfully and I am not asking the hon. Members to agree with the Government's view point, but we are being charged now during this discussion that there is a divergence between the recommendations of the PAC and the Government's decision thereon.

श्री मधु लिमये : और क्या है ?

SHRI SWARAN SINGH : That is absolutely incorrect.

श्री मधु लिमये : कैसे ? यह इंटर डिपार्ट-मेंटल कमेटी की रपट आने के बाद कमेटी ने उनकी बातों को ठुकरा दिया ।

SHRI SWARAN SINGH : Is this the way he should speak ?

श्री मधु लिमये : बाप झूठ बोलते जा रहे हैं, कैसे इसको मानेंगे ?

SHRI SWARAN SINGH : That is wrong. Mr. Deputy Speaker, Sir, will you ask the hon. Member to show the courtesy of withdrawing the word 'Jhoot' ?

श्री मधु लिमये : नहीं, मैं नहीं वापस लेता ।

SHRI SWARAN SINGH : All right. He need not withdraw. He may stew in his own juice. I do not bother about it. Why should I ask him to modify it ? I do not press my request. If he wants to do an incorrect thing, I would like that to remain on record.

MR. DEPUTY SPEAKER : For fair debate, I would appeal to Shri Madhu Limaye . . .

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI JAGANNATH RAO) : The word 'Jhoot' is unparliamentary and it should be withdrawn.

श्री मधु लिमये : बिलकुल नहीं ।

MR. DEPUTY SPEAKER : If there is some divergence, Shri Madhu Limaye has the right of reply, but in between to get up and say that what the Minister is telling is falsehood is not proper.

SHRI SWARAN SINGH : I do not expect him to show grace in this respect.

श्री मधु लिमये : इस में प्रेस का क्या सवाल है ?

SHRI SWARAN SINGH : When the point that I am making is a telling point and he has no reply to it, then he comes forward and uses these unparliamentary expressions, and I want them to remain on record rather than that he should withdraw them . . .

श्री मधु लिमये : ठीक है।

SHRI SWARAN SINGH . . . and purge himself of these unparliamentary actions and this kind of contempt of the House. It is for him to decide. I leave it to him.

The point here for consideration is this. A great deal has been said about the retirement of this officer. But the real facts are not those which are contained in this report. Here was a case in which I would repeat 'what was the point in keeping this officer with us?'. The alleged offence had been committed more than three years before the date of his retirement and no action could have been taken against him under the Army Act. Secondly, some action could be taken departmentally and we have taken that action, and we have forfeited one-third of his pension, the commuted value of which comes to about Rs. 30,000. The person who inflicts punishment can take a view that the quantum of punishment is adequate or inadequate, but that is hardly a matter which should come before this House. That is a matter of exercise of discretion.

The other point is this. If any offence has been committed, then the law will have its course. Already, we have reported to this House that the Intelligence Department and the Crime Investigation Branch are dealing with the case, and so far as criminal prosecutions for commission of offences are concerned, there is no limitation.

So, I have no hesitation in saying that even if all these facts had been known to us at the time when we passed the order about his retirement, that was the only proper order that should have been passed, and I stand by that, because that was the only proper order

that could be passed and should have been passed.

We are convincing the PAC about the *bona-fides* of the action taken. At the present stage, there is absolutely no point in agitating this and compelling Government to take an attitude which it is not their intention to take; because their attitude is to co-operate and respond to the various suggestions that may be made by the PAC and to take action in pursuance of them.

In this particular case, I would again like to say that it is true that there was some delay in constituting the inter-departmental committee. But this was explained when this matter was raised during the last session, by my colleague Shri B. R. Bhagat, who was then the Minister of State in the Ministry of Defence. We should also look at the time of the submission of this report. That report had been placed before the House a little before, towards the end of last year. Then, all these discussions and the like took place, and as soon as this matter came to us, since several Ministries were concerned, we constituted an inter-departmental committee in which the various Ministries, namely the Ministry of Defence, the Ministry of Commerce, the Ministry of Supply, the Ministry of Iron and Steel etc. were represented, and they have produced a report which is part of this document, namely the 4th Report itself. It is contained in the fourth chapter, I think, of the report of the PAC. All these matters have been gone into by that committee. They have also sent a report to the PAC.

What I am submitting is that there was nothing new in the argument that had been put forward today. This question of delay in constituting the inter-departmental committee was raised on the last occasion also and was replied to by Shri B. R. Bhagat.

The question of premature retirement of Maj. Singh was raised on two occasions out on one occasion it was raised by Shri Madhu Limaye himself, and it was replied to. This has also now gone before the PAC with Government's recommendation.

I would submit that the PAC reports have got the greatest value, because the PAC is a sort of miniature House, a committee of the House itself, and we do not consider their recommendations in any spirit except the one namely that we attach the highest importance to their reports, and it will be our continuous endeavour to co-operate fully with their suggestion and to honour them and to respect them and to explain our view point, and the House should be troubled only when the PAC finally comes to any conclusion and there is some difference and then the House will judge whether that difference was justified or not.

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY) : Regarding the two points raised in this discussion, one relates to the Ministry of Steel. I would not like to repeat all the general points concerning our attitude to the Public Accounts Committee. The point relating to my Ministry is very simple and the points involved in it have also been covered in detailed discussions with the Public Accounts Committee and the report sent to them for their consideration.

It is a fact that in this particular case some lapses have occurred. The Ministry has conceded it and sent their report to the Public Accounts Committee stating that certain irregularities have happened. As regards the statement that is only one particular firm, I would like to clarify the position . . .

SHRI NAMBIAR : We can understand this admission, not like the attitude of the Defence Minister who was trying to defend a wrong case.

DR. CHANNA REDDY : Out of 40 cases in which letter orders were issued for importing certain steel, there were about 7 and even in these, there are three different parties involved. I only submit, as we submitted to the PAC, that this particular firm was not picked up for any preferential treatment at the hands of the Ministry.

Irregularities have happened. We have promised to the Committee that the details will be inquired into and action taken against the persons responsible. The question why the bank guarantee was not taken, why customs clearance permits were given before satisfying themselves and why the performance bond was released—these are matters in which perhaps there was want of co-ordination. I am even prepared to admit that if there be found anything deliberate in letting these things happen, we would certainly not hesitate to take action. The Committee was also acquainted with our position.

The whole matter has now been referred to the Sarkar Committee. I would only draw attention to the observations of the Public Accounts Committee on page 21 where they say :

“In view of the fact that the case has been brought to the notice of the Sarkar Committee which has been appointed by Government in pursuance of the recommendations contained in the 50th and 55th Reports, they do not desire to comment on the matter at this stage”.

This is dated 10th August 1967. In view of this, I am not in a position to go more into detail about this. Some inquiry had certainly been made. But because there is a more comprehensive inquiry on, we have not gone into further details ourselves.

As regards the Sarkar Committee, I am really sorry to say—I do not attribute motives—that probably out of their anxiety some disparaging remarks should have been made. I would like to make it absolutely clear that it is not Government's intention to make this Committee in any way infructuous and not to do the job that has been entrusted to it. After I had taken charge, I had paid some special attention to this matter. I know the importance of the Sarkar Committee and the importance and value attached to investigation of matters of this type in public life and in governmental affairs. I have tried to acquaint myself with the details. I

[Dr. Channa Reddy]

consulted some hon. Members including some hon. Members opposite. I do not like to name them. I took the opportunity of discussing with them. I also discussed the matter with the members of the Sarkar Committee and I have been anxious to see how best we could expedite this matter.

Regarding the statement that the records are not made available to the Committee, I am sorry to say that the hon. Member who made the statement is not informed of the position. I do not know how he unfortunately got that impression. I can clarify that the Sarkar Committee are fully satisfied with the manner and the speed with which the necessary documents and papers have been provided to it. It is an independent committee. In regard to this, I have consulted members belonging to both Houses. They have appreciated the implications of the inquiry, the detailed work that is necessary, the detail and complicated nature of the papers involved which have to be carefully gone into, the number of persons from whom statements have to be obtained and so on. The hon. Members were fully convinced that the Committee should be given some considerable time. Even here I am prepared to submit that it would not be long before we get their report. We tried very much to get the report during this session, but unfortunately some delay has occurred. They are actively at it. I can assure you that before the next session, the Committee's report will be submitted. So the information that the hon. Members got about this matter is not really correct.

वाणिज्य मंत्री (श्री विनेश सिंह) :

उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक वाणिज्य मंत्रालय का इस में सवाल है, मोटे तौर पर बहुत सी बातों की टिप्पणी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने की थी। जिन माननीय सदस्यों ने कमेटी की रिपोर्ट देखी होगी, वे जानते होंगे कि उन में से किन-किन बातों को हम ने स्वीकार कर लिया है, उन पर क्या जांच हो रही है और क्या कार्यवाही हो रही है। उस में जो और

बातें हैं, उन के सम्बन्ध में अभी हमारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से लिखा पढ़ी हो रही है, और उन के बारे में मैं अभी यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता। मैं माननीय सदस्यों को सिर्फ इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस तरह से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने कहा है, हम उसकी पूरी तरह से जांच करा रहे हैं और उस में उचित कार्यवाही की जायगी।

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI JAGANNATH RAO) : With due respect to my hon. friend Shri Limaye, no area of divergence regarding the Department of Supply has been pointed out. Thirteen recommendations have been made by the PAC, and we have accepted 9 of them. Four recommendations are under examination, and we will send our report to the PAC, they can examine it, if there is any difference then only there will be an area of divergence.

Regarding the Deputy Director of Purchase who was found to have made incorrect and misleading statements from time to time which resulted in superior officers passing wrong orders, proceedings were started even before the Fourth Report of the PAC was submitted.

SHRI MADHU LIMAYE : On other charges.

SHRI JAGANNATH RAO : On this also. When the report was submitted, immediately we reported the matter to the CBI, and they are investigating into it, but because there will be delay, we have also started departmental proceedings. Therefore, there is no laches on our part.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, केवल अभी जो इन्होंने कहा है कि..

श्री विनेश सिंह : किन्होंने ?

श्री मधु लिमये : स० स्वर्ण सिंह साहब ने। बाकी लोगों के बारे में कोई मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि आप लोगों ने कोई ऐसी

बात नहीं कही है कि जवाब देना जरूरी हो। लेकिन सरदार साहब ने जैसा कि कोई मतभेद नहीं है। इन्टर डिपार्टमेंटल कमेटी का उन्होंने जिक्र किया। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस पर यहां पर सकल उठाया, तब मुझ को इन्टर डिपार्टमेंटल कमेटी का आश्वासन मिला। उस के बाद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को जो मैंने जानकारी दी, उस के आधार पर और इन्टर डिपार्टमेंटल कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात् यह चौथी रपट यहां आई—तो इस में डाइवर्जेंस कॅसे है, इस के बारे में एक ही बावय में पढ़ कर सुनाता हूं आपके इस सारे जवाब को पढ़ने के बाद—

"The Committee are not convinced by the explanations advanced by the Ministry of Defence for not taking prompt notice of the specific recommendations made by the Public Accounts Committee in their 64th Report about the lapses on the part of the Officer-Commanding COD Malad in regard to the purchase of the imported tyres."

फिर भी ये कहते हैं कि मतभेद नहीं है। कमेटी की रपट से साफ़ जाहिर होता है कि इस के बारे में सरकार का विचार कमेटी ने नहीं माना।

जहां तक गुप्ता का सवाल है, कमेटी ने इस के बारे में जोर दिया है। चूंकि इस बारे में आपने कहा है कि हम तैयार हैं, इसलिये मुझे कुछ नहीं कहना है।

जहां तक रेड्डी साहब का सवाल है, उन्होंने कहा है कि सरकार कमेटी के बारे में मैंने इस सदन के कुछ सदस्यों से बातचीत की थी। मैं मानता हूं और मैं उन पर कोई आरोप नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मेरे एक सुझाव को आपने नहीं माना जो मैंने उस समय दिया

था। शायद आपके मंत्रालय के जो आइ० सी० एस० अफसर हैं, वे इस सुझाव को पसन्द नहीं करते हैं। मैंने कहा था कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के भूतपूर्व चेयरमैन ने कहा है कि जीतपाल, अमीचंद प्यारे लाल इतने ताकतवर हो गये हैं कि ऐसी कोई कमेटी कायम करो कि जिनके पास इनकी पहुंच न हो। सरकार कमेटी जब बनी तो मैंने यह सुझाव इनको दिया था कि कोई ऐसा मजबूत अफसर इनकी मदद के लिये दो जो इनकी पोल खोलेंगे और मैंने एक अफसर का नाम भी दिया था, जिसका अभी यादव जी ने भी सुझाव दिया है। तो क्या इस्पात मंत्री इस पर विचार करेंगे, जिससे कि इस सदन के किसी भी सदस्य के मन में यह बात न रहे कि आपके मंत्री बनने के बाद या सरकार कमेटी बनने के बाद आपकी ओर से इन बातों पर पर्दा डालने या चादर बिछाने की कोशिश हुई है। इसलिये आप इस सुझाव पर विचार कीजिये और ऐसे अफसर को, जैसे डाइरेक्टर, रेवेन्यू इंटेलिजेंस या ऐसा ही कोई अफसर इनकी मदद के लिये दीजिये ताकि यह मामला हमेशा के लिये खत्म हो।

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, I want to raise a point of order.

SHRI S. KUNDU : I just want to read out one paragraph—

SOME HON. MEMBERS rose—

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, please. I am sorry. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

18.35 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 29, 1967/Agrahayana 8, 1889 (Saka).